संख्या– 1232 / बीस–4 / 2012–1(23) / 2011

(132)

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 12 जून ,2012

विषय– **प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष एवं विचाराधीन बन्दियों से कराये जाने वाले श्रम के बदले भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों का पुनरीक्षण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–680 / 170 / बंदी पारिश्रमिक / 2011, दिनांकः 16–06–2011 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–489 पी / 22–4–2000–48(43) / 99, दिनांकः 06–04–2000 की व्यवस्थानुसार कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों एवं ऐसे विचाराधीन बन्दियों जिनके द्वारा स्वेच्छा से कारागारों में संचालित उद्योगों कृषि कार्यों, बागवानी, पाकशाला एवं विभिन्न अन्य कार्यो में श्रम किया जाता है, को कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल श्रम के बदले देय मजदूरी की वर्तमान दरें कमशः रू0 18, 13 एवं 10 प्रतिबन्दी प्रतिदिन को बढाकर कमशः रू0 45, 35 एवं 30 प्रतिबन्दी प्रतिदिन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकः 06–04–2000 में मजदूरी दरों के अतिरिक्त अन्य उल्लिखित प्राविधान एवं शेष शर्ते यथावत रहेगी।

3– पारिश्रमिक की बढ़ी हुई उक्त दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

4– इस निमित्त होने वाला व्यय आय–व्ययक के सुसंगत लेखाशीर्षक से वहन किया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–26 NP / XXVII(5) / 2012, दिनांक 7 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

संख्या– 1232 / बीस–4 / 2012–1(23) / 2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– महानिरीक्षक, कारागार देहरादून।
4– अपर सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
6– समस्त कारागार अधीक्षक / वरिष्ठ कारागार अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–5
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव